

06.08.2025

आज पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व स्वयं वादीगण को रूक-रूक कर बार-बार आवाज दिलायी गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादीगण अपने वादपत्र के प्रति गंभीर नहीं है तथा वादपत्र को चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः वादीगण का वाद पत्र वादीगण व वकील वादी की अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश सुनाया गया।

*Mansur*  
उपखण्ड अधिकारी  
महवा जिला दौसा